परिशिष्ट-अ

(3) No refund of any tax shall be claimable by any person otherwise than in accordance with the provisions of this Act and the rules [1][and the byelaws] made thereunder.

(3) किसी भी कर के किसी प्रत्यर्पण के संबंध में, किसी भी व्यक्ति द्वारा, इस अधिनियम के आदेशों तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों [1][तथा उपविधियों] के अनुसार के अतिरिक्त अन्यथा मांग नहीं की जा सकेगी।

टिप्पणी

नगर निगम द्वारा जारी वाटर टैक्स के डिमांड नोटिस के विरुद्ध घोषणा एवं स्थायी व्यादेश के लिए सिविल वाद -- सिविल कोर्ट को इस मामले में विचार कर निपटान करने की कोई अधिकारिता नहीं है -- अधिकारिता स्पष्ट रूप से निकाल दी गई। ए.आई.आर. 1977 एस.सी. 955, अवलंबित। **नगरपालिक निगम और अन्य बनाम हेमंत कुमार और अन्य, 2014 (2) MPLJ 214 = 2014 (2) JLJ 203.**

मूल्यांकन, कर निर्धारण अथवा कर वसूली के संबंध में किसी व्यक्ति के उत्तरदायित्व के संबंध में सिविल न्यायालय को अधिकारिता नहीं है। **नगर पालिका निगम, इन्दौर बनाम प्यारे अली, 1993 एम.पी.ए.सी.जे. 210 (म.प्र.)।**

[2][**189-A. Recovery of taxes by public auction of private contract** – Notwithstanding anything contained in this Act, the corporation may, by public auction or private contract lease the recovery of any of the taxes and fees which may be imposed under this Act, subject to the conditions and limitation, if any, prescribed by the State Government in this behalf.]

[2][**189-क. सार्वजनिक नीलामी या प्राइवेट संविदा द्वारा करों की वसूली** -- इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निगम किन्हीं ऐसे करों या फीस, जो इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित की जाएँ की वसूली, ऐसी शर्तों और सीमाओं के, यदि कोई हों, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित की जाएँ, अध्यधीन रहते हुए सार्वजनिक नीलामी या प्राइवेट संविदा द्वारा पट्टे पर दे सकेगा।]

टिप्पणी

सीमा कर -- नाका तथा रोध प्रणाली से संगृहीत नहीं किया जा सकता -- संग्रह का ढंग मात्र नगरपालिका की सीमाओं के बाहर निर्यात किए गए माल पर सीमा कर (निर्धारण और संग्रह) नियम, 1996 के नियम 3 तथा 4 के उपबंधों के अनुसार होगा। **म.प्र. नगर निगम/नगर पालिका कर्मचारी संघ, कटनी और अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य और अन्य, 2009 (III) MPWN 54 (page 172).**

अधीक्षक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
म.प्र. भोपाल

अनुभाग अधिकारी
नगरीय प्रशासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

PART V
PUBLIC HEALTH, SAFETY AND CONVENIENCE

पाँचवाँ भाग
सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा सुविधा

CHAPTER XIII
PUBLIC CONVENIENCE

तेरहवाँ अध्याय
सार्वजनिक सुविधा

Municipal Drains

नगरपालिक जल-निकास

प्रश्न सं. [क. 299]

[12/8/2021]

the Commissioner may construct or set up such reservoirs, sluices, engines and other works as he may from time to time deem, necessary.

191. Places for emptying of drains and disposal of sewage – The Commissioner may cause all or any municipal drains to empty into any place, whether within or without the limits of the Corporation, and may dispose of the sewage at any place, whether within or without the limits of the Corporation, and in any manner which he may deem suitable :

Provided that the Government may prohibit the Commissioner from causing any municipal drains to empty into any place or from disposing of any sewage at any place or in any manner, which it considers unsuitable.

192. Provision of means for disposal of sewage – For the purpose of receiving, storage, disinfecting, treating, purifying, distributing or otherwise disposing of sewage the Commissioner may –

(a) construct any work within or without the limits of the Corporation;

(b) purchase or take on lease any land, building, engine, material or apparatus, either within or without the limits of the Corporation; and

(c) enter into an arrangement with any person, for a period not exceeding three years, for the removal or disposal of sewage within or without the limits of the Corporation

लिए आयुक्त ऐसे जलाशयों, जल-द्वारों अन्य कार्यों की रचना या स्थापना करा वह समय-समय पर आवश्यक समझें।

191. जल-निकासों के स्थान तथा गन्दे पानी का निर

आयुक्त, समस्त या किन्हीं नगरपालिक का जल किसी भी स्थान में, चाहे ऐसा की सीमाओं के भीतर हो या बाहर, और गंदे पानी का निराकरण किसी भी ऐसा स्थान निगम की सीमाओं के भीतर तथा किसी ऐसी रीति में, जिसे वह उ कर सकेगा :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि शासन किन्हीं नगरपालिक जल-निकासों का स्थान में डलवाने या किसी गंदे पानी स्थान में या किसी ऐसी रीति में निरा निषेधित कर सकेगा, जिसे वह अनुपयु

192. गन्दे पानी का निराक लिए साधनों की व्यवस्था -- प्राप्त करने, संग्रहीत करने, कृमिशोधित में लाने, शुद्ध करने, वितरित करने या उसका निराकरण करने के आशय के लि

(अ) निगम की सीमाओं के किसी कार्य की रचना क

(आ) किसी भूमि, भवन, यंत्र का निगम की सीमा बाहर क्रय कर सकेगा ले सकेगा; और

(इ) ऐसे काल के लिए, जो अधिक न हो, निगम की भीतर या बाहर गंदे पानी या उसका निराकरण करने

परिशिष्ट-अ

8

ges incurred in connection ire or detention is tendered Municipal Officer or to the orised as aforesaid, the d shall forthwith be released.

no such tender is made the be sold and the proceeds pplied to the payment of-

unt due on account of toll;
ges incurred in connection e seizure, detention and

surplus proceeds shall be redited to the Municipal tice of such credit shall be same time to the person in ession the property was at seizure or detention. If such ms the surplus by written to the Chief Municipal hin one year from the date ce given under this sub- Chief Municipal Officer the surplus to him.

ny such surplus not so all be the property of the

समस्त खर्चों के साथ शोध्य मुख्य नगरपालिका अधिकारी या यथापूर्वोक्त प्राधिकृत अधिकारी को निविदत्त कर दी जाती है, तो अभिग्रहीत संपत्ति तत्काल निर्मुक्त कर दी जाएगी ।

[1][(5) यदि इस प्रकार रकम निविदत्त न की गई हो, तो संपत्ति बेची जा सकेगी और विक्रय के आगमों को निम्नलिखित के भुगतान में उपयोजित किया जाएगा :

(एक) पथकर के कारण देय रकम;

(दो) अभिग्रहण, निरोध तथा विक्रय के संबंध में उपगत किये गए प्रभार ।

(6) अधिशेष आगमों को नगरपालिका निधि में तत्काल जमा कर दिया जाएगा और इस प्रकार जमा किए जाने की सूचना उस व्यक्ति को उसी समय दी जाएगी जिसके कब्जे में संपत्ति अभिग्रहण या निरोध के समय थी । यदि ऐसा व्यक्ति इस उपधारा के अधीन दी गई सूचना की तारीख से एक वर्ष के भीतर मुख्य नगरपालिका अधिकारी को लिखित आवेदन द्वारा ऐसी अधिशेष रकम के लिए दावा करता है, तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी ऐसी अधिशेष रकम उसे लौटा देगा ।

(7) कोई ऐसा अधिशेष, जिसका दावा नहीं किया गया है, परिषद् की संपत्ति हो जाएगी ।

टिप्पणी

सरकार ने इस धारा के तहत् "पथकर या चुंगीकर के अभिग्रहण या निरोध की सूचना न्धी नियम" बनाये हैं, जो आगे पुस्तक में प्रकाशित किये गये हैं। वे निम्नानुसार हैं --

पथकर या चुंगीकर के अभिग्रहण या निरोध की सूचना का प्रारूप

2. सूचना का प्ररूप. -- धारा 157 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट सूचना इन नियमों के संलग्न प्ररूप में होगी ।

3. नियमों का सामान्य होना. -- ये नियम समस्त नगरपालिकाओं के लिए सामान्य होंगे ।

प्ररूप

[नियम 2 देखिए]

सूचना

प्रति,

....

....

आपको एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि इससे संलग्न सूची में उल्लिखित *माल, पशुओं और गाड़ियों को जिन्हें .... रुपये के *पथकर या चुंगी की अदेनगी के कारण मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 157 की उपधारा (1) के अधीन दिनांक .... को अभिग्रहित या निरुद्ध कर लिया गया है, यदि आपके द्वारा पूर्वोक्त रकम में न चुकाई गई तो .... स्थान पर दिनांक .... 19. को .... बजे या उसके लगभग नीलाम द्वारा बेच दिया जाएगा ।

*जो अप्रयोज्य हो उसे काट दीजिए ।

पथकर/चुंगी संग्रहीत करने के लिए नियुक्त व्यक्ति के हस्ताक्षर तथा उसका पदनाम

[1][158 to 159. ***]

[2][160. **Recovery by public auction or private contract** -- Notwithstanding anything contained in this Act, the Municipality may, by public auction or private contract lease the recovery of any of the taxes and fee which may be imposed under this Act subject to the condition and limitation, if any prescribed by the State Government in this behalf.]

161. Method of assessment of duty on transfer of immovable property -- [3][(1) The duty imposed by the Indian Stamp act, 1899 (II of 1899),

[1][158. से 159. ***]

[2][160. **लोक नीलाम या प्राइवेट संविदा द्वारा वसूली** -- इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नगरपालिका किन्हीं करों व फीसों की, जो इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित की जाएं, वसूली ऐसी शर्तों और सीमाओं के, यदि कोई हों, जैसी की राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित की जाए, अध्यधीन रहते हुए लोक नीलाम या प्राइवेट संविदा द्वारा पट्टे पर दे सकेगी ।

161. स्थावर संपत्ति के अंतरण पर शुल्क निर्धारण की पद्धति -- [3][(1) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का

अधीक्षक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
म.प्र. भोपाल